छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील क्रमांक 389/2006</u>

श्री चिन्तामणी पटेल,
ग्राम व पोस्ट–लेन्धरा, तहसील–सारंगढ़,
जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
अनुविभागीय अधिकारी,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग–सारंगढ़,
जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

2. अतिरिक्त कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थीगण

:: आदेश ::
(दिनांक 28 फरवरी 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने दिनांक 03–05–2006 को उनके पूर्व शिकायतों में की गई जाँच में लिये गये बयानों की सत्यप्रतिलिपियों की मांग की गई थी और इसकी सूचना मिलने पर 400/– रुपये शुल्क भी जमा कराये थे। किन्तु उसके बाद दिनांक 26–06–2006 के पत्र द्वारा सूचित किया गया कि जाँच अधिकारी का निधन हो जाने से और बयानों की प्रति उपलब्ध नहीं होने से जानकारी देना संभव नहीं है। दिनांक 04–07–2006 को जिलाध्यक्ष के यहां अपील की गई और अपील में भी दिनांक 29–08–2006 को यह निर्णय दिया गया कि जाँच अधिकारी के निधन होने के कारण उपलब्ध नहीं होने से जानकारी देना संभव नहीं है, उसी से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 05–10–2006 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभयपक्ष की सुनवाई की गई। दिनांक 15–01–2007 को रिकार्ड को पुनः कार्यालय अथवा मृतक के घर से उन्हें प्राप्त करने के निर्देश दिये गये, किन्तु यही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि पुनः खोजने पर भी जानकारी कहीं नहीं मिल रही है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों में इस मामले में भ्रष्टाचार होने और उसको छिपाने के लिए षडयंत्रपूर्वक उक्त दस्तावेज गायब करने का आरोप लगाया है, किन्तु इस संबंध में इस बात का कोई आधार नहीं होने से उन पर विश्वास करना संभव नहीं है। जहां तक अपीलार्थी ने दस्तावेज नहीं होने पर भी फीस जमा कराने के संबंध में तर्क दिया है, उस संबंध में जो पत्र 09–06–2006 को अपीलार्थी को जारी किया गया है, उसकी प्रतिलिपि भी श्री ए.के.सोनी को अंकित की गई है और उसमें बताया गया है कि वे बयान जमा करें ताकि संबंधित को प्रदाय किया जा सके। अतः इस संबंध में भी कोई षडयंत्र का आरोप सही नहीं ठहरता है और संभवतः अनुविभागीय अधिकारी की त्रुटि यही रही है कि उन्हें फीस

की सूचना अभिलेख श्री सोनी से प्राप्त होने पर अभिलेखों के पृष्ठों की गणना करके देनी चाहिए थी। अब चूँकि जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है, अतः एकमात्र रास्ता यही रह जाता है कि संबंधित शिकायत की जाँच के लिए पुनः बयान लिया जावे और उसकी प्रति अपीलार्थी को दी जाये और अपीलार्थी ने अपने द्वितीय अपील के पैरा–7 में भी यही उल्लेख किया है कि यदि अतिरिक्त कलेक्टर चाहते तो पुनः बयान दर्ज कराकर प्रकरण का निराकरण कर भ्रष्टाचारियों को दण्ड देते। अतएव उपरोक्त स्थिति में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध शास्ति की कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं है। प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते हैं कि कलेक्टर इस संबंध में किसी अन्य जाँच अधिकारी की नियुक्ति करे और पुनः गवाहों के बयान दर्ज कराया जाकर उनकी प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करायें। यह समस्त कार्यवाही 1 माह के अन्दर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे। प्रकरण में यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जमा कराया गया शुल्क वापस किया गया है अथवा नहीं, अतः यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यह राशि अब तक वापस नहीं की गई हो तो जमा की गई 400/– रुपये की राशि अपीलार्थी को वापस करायी जावे। साथ ही अपीलार्थी को विलम्ब के कारण जो मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है उसके लिये सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत उन्हें 1000/– रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में विभाग की ओर से प्रदान की जावे।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त